



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-30102020-222848
CG-MH-E-30102020-222848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]
No. 456]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 29, 2020/ कार्तिक 7, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 29 अक्टूबर, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/39.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में,-
 - I. विनियम 18 का उप-विनियम (22) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
“(22) न्यासी (ट्रस्टी) पांचवीं अनुसूची के भाग-क में निर्धारित की गई आचार संहिता का पालन करेंगे।”
 - II. विनियम 24 के खंड (ख) का तीसरा परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्-

“परंतु यह और कि आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) अपनी म्यूचुअल फंड स्कीमों की ओर से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के ऋण खंड (डैट सेगमेंट) में व्यापार (ट्रेड) करने के लिए प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मेम्बर बन सकेगी, और अपनी म्यूचुअल फंड स्कीमों की ओर से ऋण खंड (डैट सेगमेंट) में व्यापारों (ट्रेड) का समाशोधन (की क्लीयरिंग) और उनका निपटान (सेटलमेंट) करने के लिए मान्यताप्राप्त समाशोधन निगमों (क्लीयरिंग कारपोरेशन्स) की स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर) भी बन सकेगी।”

III. विनियम 25 में,-

- i. उप-विनियम (6क) में, शब्द “चाहे उसका पदनाम कोई भी हो”, शब्दों “चाहे पदनाम जो भी हो” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- ii. उप-विनियम (6क), उसके खंड (क) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा, और इस प्रकार संख्यांकित खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चाहे पदनाम जो भी हो) यह भी सुनिश्चित करेगा कि आस्ति प्रबंध कंपनी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ हों कि इन विनियमों की पांचवीं अनुसूची के भाग-ख में निधि प्रबंधकों (फंड मैनेजर्स) और डीलरों के लिए निर्धारित की गई आचार संहिता का सही मायने में पालन किया जाता है। इस आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन होने पर उसकी जानकारी आस्ति प्रबंध कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) और न्यासियों (ट्रस्टी) को दी जाएगी।”

- iii. उप-विनियम (6ख) में, शब्द “चाहे पदनाम कोई भी हो”, शब्दों “चाहे पदनाम जो भी हो” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- iv. उप-विनियम (6ख), उसके खंड (क) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा, और इस प्रकार संख्यांकित खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(ख) निधि प्रबंधक (चाहे पदनाम जो भी हो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 की पांचवीं अनुसूची के भाग-ख में निधि प्रबंधकों (फंड मैनेजर्स) और डीलरों के लिए निर्धारित की गई आचार संहिता का पालन करेंगे, और प्रत्येक तिमाही में न्यासियों (ट्रस्टी) के समक्ष इस बात का स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने इस आचार संहिता का पालन किया है या जिन-जिन मदों का पालन नहीं किया (यदि कोई हों) उनकी सूची देंगे।

स्पष्टीकरण:- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों “निधि प्रबंधकों” में मुख्य निवेश अधिकारी (चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर) [चाहे पदनाम जो भी हो] शामिल होगा।”

- v. उप-विनियम (6ख) के पश्चात् और उप-विनियम (7) से पूर्व, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(6ग) (क) डीलर (चाहे पदनाम जो भी हो) यह सुनिश्चित करेंगे कि किए जाने वाले सौदे (ऑर्डर) संबंधित बाजार [लेनदेन (ट्रांजैक्शन) करते समय उनके प्रकार और आकार के मद्देनज़र] को ध्यान में रखते हुए हर लिहाज से बेहतर हों, ताकि स्कीम के उद्देश्य पूरे हो सकें और जो सभी यूनिटधारकों के सर्वोत्तम हित में हों।

(ख) डीलर (चाहे पदनाम जो भी हो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 की पांचवीं अनुसूची के भाग-ख में निधि प्रबंधकों (फंड मैनेजर्स) और डीलरों के लिए निर्धारित की गई आचार संहिता का पालन करेंगे, और प्रत्येक तिमाही में न्यासियों (ट्रस्टी) के समक्ष इस बात का स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने इस आचार संहिता का पालन किया है या जिन-जिन मदों का पालन नहीं किया (यदि कोई हों) उनकी सूची देंगे।”

vi. उप-विनियम (16) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्-

“(16) आस्ति प्रबंध कंपनी पांचवीं अनुसूची के भाग-क में निर्धारित की गई आचार संहिता का पालन करेगी।”

IV. पांचवीं अनुसूची में,-

i. शीर्षक “आचार संहिता” के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द और चिह्न अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

“भाग-क

आस्ति प्रबंध कंपनी और न्यासियों (ट्रस्टी) के लिए”

ii. खंड 11 के उप-खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“भाग-ख

[विनियम 25(6क)(ख), 25(6ख)(ख), 25(6ग)(ख) और 68(ज)]

निधि प्रबंधकों (फंड मैनेजर्स) और डीलरों के लिए

सामान्य:

1. डीलर और निधि प्रबंधक (फंड मैनेजर्स):

- (क) यह सुनिश्चित करेंगे कि निवेश यूनिट धारकों के हित में किए जाते हैं;
- (ख) पूरी नैतिकता के साथ और पेशेवर की हैसियत से बेहतरीन ढंग से कार्य करने की कोशिश करेंगे, ताकि बाजारों की साख बढ़े;
- (ग) दूसरे बाजार सहभागियों (मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स) के साथ व्यवहार (व्यौहार / डीलिंग) करते समय ईमानदारी बरतेंगे;
- (घ) निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे और बाजार सहभागियों के साथ एक जैसा तथा पारदर्शी तरीके से व्यवहार करेंगे;
- (ङ) सत्यनिष्ठा से कार्य करेंगे, खासतौर पर उनके कार्य करने का तरीका और उनका व्यवहार ऐसा न हो, जिन पर सवाल उठाए जा सकते हों;
- (च) प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) को विनियमित करने वाले अधिनियम (एक्ट), नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धांतों / गाइडलाइन्स) और परिपत्रों (सर्कुलर्स) का पालन करेंगे और इनमें होने वाले बदलावों आदि की पूरी जानकारी रखेंगे;
- (छ) किन्हीं अनैतिक कारोबारी गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे या पेशेवर हैसियत से ऐसा कोई गलत आचरण (जैसे बेईमानी, धोखाधड़ी या छल आदि) नहीं करेंगे या ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे संगठन या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा पर आंच आए;
- (ज) अपनी संस्था की नीतियों के अनुसार मौजूदा या संभावित हित-विरोधों की पहचान करेंगे और उन्हें दूर करेंगे;
- (झ) निधि (फंड) की ओर से किसी ऐसे प्रतिपक्षकार (काउंटरपार्टी) के साथ ऐसा कोई लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांज़ैक्शन) नहीं करेंगे, जो प्रायोजक (स्पॉन्सर) / आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) / निधि प्रबंधक / डीलर / मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्ज़क्यूटिव ऑफिसर) का सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) हो, जब तक कि ऐसा लेनदेन समुचित दूरी बनाते हुए उन शर्तों आदि पर और उस कीमत पर न किया जाए जो सर्वोत्तम मानदंडों के अनुरूप हो और जिसके संबंध में कमीशन दर आम तौर पर संस्थाओं की दरों से अधिक न हो;

इस खंड के प्रयोजनार्थ, शब्द “सहयोगी” का अर्थ निम्नानुसार होगा:

- i. आस्ति प्रबंध कंपनी के मामले में, सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) का वही अर्थ होगा जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के विनियम 2(ग) में परिभाषित है
 - ii. प्रायोजक (स्पॉन्सर) के मामले में, सहयोगी वे होंगे जिनका उल्लेख उनके वित्तीय विवरणों (फाइनेंशियल) में किया गया हो
 - iii. निधि प्रबंधक / डीलर / मुख्य कार्यपालक अधिकारी के मामले में, इसमें शामिल होंगे - उनके नातेदार या कोई एंटीटी, जिस पर निधि प्रबंधक (फंड मैनेजर) / डीलर / मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नियंत्रण हो सकता हो;
- (ज) यूनिटधारकों के पैसों (निधि / फंड) के प्रबंधन के कार्य आदि के संबंध में ऐसे किसी प्रलोभन की पेशकश नहीं करेंगे या ऐसा कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे यूनिटधारकों के प्रति उनके कर्तव्यों के संबंध में हित-विरोध होने की आशंका हो;
- (ट) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निहित समस्त हितों को प्रकट करेंगे, जैसा भी कानूनी तौर पर करना जरूरी हो; और
- (ठ) ऐसे किसी उपहार या आवभगत (इंटरटेनमेंट) की पेशकश स्वीकार नहीं करेंगे, जो इस संबंध में निर्धारित की गई आस्ति प्रबंध कंपनी की नीति के अनुसार न हो।

संवाद आदि: माध्यम, प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) और पारदर्शिता:

2. डीलर और निधि प्रबंधक:

- (क) जो भी संवाद आदि करेंगे वह हमेशा स्पष्ट हो, पारदर्शी तरीके से हो, सही-सही हो और पेशेवर तरीके से किया गया हो, ताकि कारगर ढंग से संवाद हो सके और जिससे बाजार में पारदर्शिता आए;
- (ख) बाजार खुले रहने के दौरान समस्त संवाद केवल उन्हीं माध्यमों से करेंगे जिनके जरिए संवाद को रिकॉर्ड किया जा सके;
- (ग) इस बात के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे कि वे बाजार में गलत तरीके से किए जा रहे कार्य आदि की किसी घटना से, जोखिम का कामकाज, पालन सुनिश्चित करने से संबंधित कामकाज और विनियामक (रेग्युलेटरी) कामकाज देखने वाले संबंधित अधिकारियों को, अवगत कराएं;
- (घ) मूल्यांकन एजेंसियों (वैल्यूएशन एजेंसी) या आस्ति प्रबंध कंपनी की मूल्यांकन समिति (वैल्यूएशन कमेटी) को सही-सही जानकारी देंगे। मूल्यांकन में ज्यादा फर्क (जैसा आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाए) होने के किसी मामले की जानकारी भी मूल्यांकन एजेंसियों और आस्ति प्रबंध कंपनी की मूल्यांकन समिति को भी दी जाएगी।
- (ङ) अपने विवेकानुसार बाजार के मिजाज, बाजार की सामान्य स्थिति या उसके रुख के बारे में अपनी राय साझा करेंगे, किंतु कोई गोपनीय जानकारी प्रकट नहीं करेंगे;
- (च) किन्हीं बाहरी व्यक्तियों को ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी (जो जनता के लिए उपलब्ध न हो) प्रकट नहीं करेंगे जिससे निवेश का मूल्य प्रभावित हो सकता हो, और न तो ऐसी जानकारी के आधार पर स्वयं कुछ करेंगे न ही किसी और से करवाएंगे; और
- (छ) जानबूझकर किसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) की कीमत या उसके बाजार के संबंध में मिथ्या या भ्रामक जानकारी नहीं फैलाएंगे।

सौदों के संबंध में मानदंड (एग्ज़िक्यूशन स्टैण्डर्ड्स):

3.1. निधि प्रबंधक:

- (क) उचित और पर्याप्त आधार पर निवेश संबंधी निर्णय लेंगे, और उन निधियों (फंड) के संबंध में किए जाने वाले निवेश के लिए जिम्मेदार होंगे जिनका प्रबंधन वे करते हों;
- (ख) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को खरीदने या उन्हें बेचने के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय का लिखित रिकॉर्ड रखेंगे और साथ ही ऐसे निर्णय लिए जाने के औचित्य का भी विस्तार से उल्लेख करेंगे; और

(ग) ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे या ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाएंगे जिससे कि बनावटी तौर पर एनएवी को बढ़िया दिखाया जा सके (एनएवी की विंडो ट्रेसिंग की जा सके)।

3.2. डीलर और निधि प्रबंधक (फंड मैनेजर):

- (क) ऐसे तरीके अपनाएंगे, जिससे कि सौदे (डील) निष्पक्ष रूप से और शीघ्र हो सकें;
- (ख) प्रतिपक्षकारों (काउंटरपार्टी) के साथ सौदा (डील) करते समय जो भी संवाद आदि किए जाएं और समझौते किए जाएं उनका पूरा रिकॉर्ड निधि (फंड) की बहियों में रखेंगे, यदि उन्होंने म्यूचुअल फंड की ओर से लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजैक्शन) करने का वादा किया हो;
- (ग) प्रतिभूति आबंटन (सिक्यूरिटी अलोकेशन) के उद्देश्य से, फायदों (लाभ / हानि) या किसी मूल्यांकन के आधार पर मुनाफे / नुकसान के अंतरण (ट्रांसफर) [जिसमें शामिल है – स्कीमों के बीच किए जाने वाले अंतरण (इंटर स्कीम ट्रांसफर) या कोई अन्य अंतरण] के उद्देश्य से, एक स्कीम की तुलना में दूसरी स्कीम को तबज्जो नहीं देंगे;
- (घ) किसी भी तरीके से सौदे घुमाने (सर्कुलर ट्रेडिंग) [फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए] में लिप्त नहीं होंगे;
- (ङ) बाजार में खलल पैदा करने, कीमतों को तोड़ने-मरोड़ने, या व्यापारिक मात्रा (ट्रेडिंग वॉल्यूम) को बनावटी तौर पर बढ़ाने के इरादे से लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजैक्शन) नहीं करेंगे या ऐसे लेनदेनों में शरीक नहीं होंगे;
- (च) बाजार से बाहर (ऑफ मार्केट) की कीमतों पर एक ही प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) की खरीद और बिक्री साथ-साथ नहीं करेंगे, जिससे कि उस प्रतिभूति (उन प्रतिभूतियों) की आपूर्ति, उसकी (उनकी) मांग, या उसकी (उनकी) बाजार कीमत के बारे में मिथ्या या भ्रामक संकेत मिलें;
- (छ) बारंबार व्यापारित (ट्रेड) न होने वाली प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की कीमतों में हेराफेरी नहीं करेंगे, जिसमें महीना समाप्त होने / तिमाही समाप्त होने / वर्ष समाप्त होने की तारीख को ऐसा किया जाना शामिल है;
- (ज) ऐसी किसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) [जिसमें सरकारी प्रतिभूति शामिल है] को बेचने या खरीदने के लिए इंतजाम नहीं करेंगे, जहाँ फायदाप्रद हितों (बेनिफिशियल इंटररेस्ट) में कोई बदलाव न होता हो या कोई बाजार जोखिम न हो अथवा जहाँ फायदाप्रद हित का अंतरण (ट्रांसफर) या बाजार जोखिम केवल उन्हीं पक्षों के बीच ही हो जो सामान्य मति से कार्य कर रहे हों या मिलीभगत से कार्य कर रहे हों;
- (झ) न तो “रूटिंग डील” {यानि कि किसी अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) [जिसके पास प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) को खरीदने के लिए पैसा न हो] के कहने पर प्रतिभूति को यह समझौता करके खरीदना कि बाद में किसी दिन पहले से तय कीमत (फिर चाहे उसका संबंध बाजार से हो या न हो) पर उस अन्य पक्ष को वह प्रतिभूति बेच दी जाएगी} करेंगे और न ही उसमें शरीक होंगे;
- (ञ) सौदे (ट्रेड) न करने के इरादे से मार्केट रेंज (जो उसकी संस्था द्वारा निर्धारित हो) से बाहर भ्रामक बोलियां नहीं डालेंगे और भ्रामक प्रस्ताव (ऑफर) नहीं करेंगे;
- (ट) बाजार सहभागियों को गुमहार (भ्रमित) करने के इरादे से ऐसे कोटेशन नहीं डालेंगे, जिनका वास्तव में कोई मायना न हो; और
- (ठ) किसी अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) को किसी महीने / तिमाही के अंत में यह समझौता करके प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) नहीं बेचेंगे कि वे बाद में किसी दिन उन्हें खरीद लेंगे, फिर चाहे ऐसा किसी भी उद्देश्य [जैसे कि कुछ समय के लिए अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) को पूरा करने के लिए या फिर महीने के अंत में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करने से बचने के लिए] से किया जाए।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./321/2020-21]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 856(अ), 9 दिसम्बर, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् –
 - (1) 15 अप्रैल 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327 (अ), द्वारा
 - (2) 12 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं.32 (अ), द्वारा
 - (3) 8 दिसम्बर 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं.1223 (अ), द्वारा
 - (4) 14 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.235 (अ), द्वारा
 - (5) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.278 (अ), द्वारा
 - (6) 22 मई 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.484 (अ), द्वारा
 - (7) 23 जनवरी 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 69 (अ), द्वारा
 - (8) 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा
 - (9) 23 जुलाई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 698 (अ), द्वारा
 - (10) 20 फरवरी 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 219 (अ), द्वारा
 - (11) 11 जून 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 625 (अ), द्वारा
 - (12) 30 जुलाई 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 809 (अ), द्वारा
 - (13) 9 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं.956 (अ), द्वारा
 - (14) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं.1045 (अ), द्वारा
 - (15) 29 मई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं.632 (अ), द्वारा
 - (16) 12 जनवरी 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2004, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/4/2004, द्वारा

- (17) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा
- (18) 12 जनवरी 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 38(अ), द्वारा
- (19) 22 मई 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 783(अ), द्वारा
- (20) 3 अगस्त 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1254(अ), द्वारा
- (21) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/82534/2006, द्वारा
- (22) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/83065/2006, द्वारा
- (23) 28 मई 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2518, द्वारा
- (24) 31 अक्तूबर 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/4646, द्वारा
- (25) 31 मार्च 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा.सं.11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा
- (26) 16 अप्रैल 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. एलएजी-एनआरओ/जीएन/2008/03/123042, द्वारा
- (27) 22 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एल.ए.डी.-एन.एन.ओ./जी.एन./2008/09/126202, द्वारा
- (28) 29 सितम्बर 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/24/ 139426, द्वारा
- (29) 8 अप्रैल 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/01/ 159601, द्वारा
- (30) 5 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/07/165404, द्वारा
- (31) 29 जुलाई 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/13/13945, द्वारा
- (32) 30 अगस्त 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/22/27668, द्वारा
- (33) 21 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/38/4290, द्वारा
- (34) 26 सितम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/17/ 21502, द्वारा
- (35) 16 अप्रैल 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2013, सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/03/5652, द्वारा

- (36) 19 जून 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/12/6108, द्वारा
- (37) 19 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/18/6384, द्वारा
- (38) 6 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/01/1039, द्वारा
- (39) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (40) 30 दिसम्बर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एलएडी-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/19/ 1973, द्वारा
- (41) 15 मई 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/005, द्वारा
- (42) 12 फरवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/034, द्वारा
- (43) 15 फरवरी 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/031, द्वारा
- (44) 13 मार्च 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/02, द्वारा
- (45) 30 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/14, द्वारा
- (46) 6 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/50, द्वारा
- (47) 13 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/51, द्वारा
- (48) 1 जनवरी 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/01, द्वारा
- (49) 26 अप्रैल 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/011, द्वारा
- (50) 23 सितम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/37, द्वारा
- (51) 6 मार्च 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/07, द्वारा
- (52) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 29th October, 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS)**(SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2020**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/39.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (c) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, namely—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2020.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996,—

- I. In sub-regulation (22) of Regulation 18, after the words “specified in” and before the words “the Fifth Schedule”, the words and symbol “PART-A of” shall be inserted.

- II. Third Proviso to clause (b) of regulation 24 shall be substituted with the following, namely—

“Provided further that an asset management company may become a proprietary trading member for carrying out trades in the debt segment of the recognised stock exchanges, on behalf of its mutual fund schemes and may also become a self-clearing member of the recognised clearing corporations to clear and settle trades in the debt segment on behalf of its mutual fund schemes.”

- III. In Regulation 25,

- i. In sub-regulation (6A), the words “whatever his designation may be” shall be substituted with the words “whatever be the designation”.

- ii. sub-regulation (6A) shall be numbered as clause (a) thereof and after clause (a) so numbered, the following clause shall be inserted, namely—

“(b) Chief Executive Officer (whatever be the designation) shall also ensure that the Asset Management Company has adequate systems in place to ensure that the Code of Conduct for Fund Managers and Dealers specified in PART - B of the Fifth Schedule of these regulations are adhered to in letter and spirit. Any breach of the said Code of Conduct shall be brought to the attention of the Board of Directors of the Asset Management Company and Trustees.”

- iii. In sub-regulation (6B), the words “whatever the designation may be” shall be substituted with the words “whatever be the designation”.

- iv. sub-regulation (6B) shall be numbered as clause (a) thereof and after clause (a) so numbered, the following clause shall be inserted, namely—

“(b) The Fund Managers (whatever be the designation) shall abide by the Code of Conduct for Fund Managers and Dealers specified in PART - B of the Fifth Schedule of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and submit a quarterly self-certification to the Trustees that they have complied with the said code of conduct or list exceptions, if any.

Explanation:- For the purposes of this sub-regulation, the phrase “Fund Managers” shall include Chief Investment Officer (whatever be the designation).”

- v. After sub-regulation (6B) and before sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely—

“(6C) (a) The Dealers (whatever be the designation) shall ensure that orders are executed on the best available terms, taking into account the relevant market at the time for transactions of the kind and size concerned to achieve the objectives of the scheme and in the best interest of all the unit holders.

(b) The Dealers (whatever be the designation) shall abide by the Code of Conduct for Fund Managers and Dealers specified in PART - B of the Fifth Schedule of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and submit a quarterly self-certification to the Trustees that they have complied with the said code of conduct or list exceptions, if any.”

- vi. In sub-regulation (16), after the words “specified in” and before the words “the Fifth Schedule”, the words and symbol “PART-A of” shall be inserted.

IV. In the Fifth Schedule,

- i. after the heading Code of Conduct, the following shall be inserted, namely—

“PART – A

For the Asset Management Company and Trustees”

- ii. after sub-clause (b) of clause 11, the following shall be inserted, namely—

“PART – B

[Regulations 25(6A)(b), 25(6B)(b), 25(6C)(b) and 68(h)]

For the Fund Managers and Dealers

General:

1. Dealers and Fund Managers shall:

- (a) ensure that investments are made in the interest of the unit holders;
- (b) strive for highest ethical and professional standards to enhance the reputation of the markets;
- (c) act honestly in dealings with other market participants;
- (d) act fairly and deal with market participants in a consistent and transparent manner;
- (e) act with integrity, particularly in avoiding questionable practices and behaviour;
- (f) abide by the Act, Rules, Regulations, Guidelines and Circulars governing the securities market and keep themselves up-to-date with the latest developments;
- (g) not indulge in any unethical business activities or professional misconduct involving dishonesty, fraud or deceit or commit any act that could damage the reputation of the organisation or the mutual fund industry;
- (h) identify existing or potential conflicts of interest as per their institutions policies and address the same;
- (i) not carry out any transaction on behalf of a fund with any counter party who is an associate of the Sponsor/Asset Management Company/Fund Manager/Dealer/Chief Executive Officer unless such transaction is carried out on arm’s length basis on terms and at a price consistent with best execution standards and at a commission rate no higher than customary institutional rates;

For the purposes of this clause, the term associate shall have the following meaning:

- i. In case of an Asset Management Company, an associate as defined in Regulation 2(C) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996
- ii. In case of a Sponsor, associates as listed in their Financials

- iii. In case of a Fund Manager/Dealer/Chief Executive Officer, it shall include their relatives or any entity upon whom the Fund Manager/Dealer/Chief Executive Officer could exercise control;
- (j) not offer or accept any inducement in connection with the affairs or business of managing the funds of unitholders which is likely to conflict with the duties owed to the unitholders;
- (k) disclose all interests in securities as required by all applicable statutory requirements; and
- (l) not receive any gift or entertainment which is not in adherence of the gift and entertainment policy of the Asset Management Company framed in this regard.

Communication: Channels, disclosures and transparency:

2. Dealers and Fund Managers shall:

- (a) always communicate in unambiguous, transparent, accurate and professional manner to promote effective communication that supports a transparent Market;
- (b) conduct all communication during market hours through recorded modes and channels only;
- (c) be encouraged to highlight and bring to the notice any instance of suspected malpractice or market misconduct to the appropriate risk, compliance and regulatory chains of command;
- (d) provide appropriate inputs to the valuation agencies or the valuation committee of the Asset Management Company. Any material deviation in valuation, as defined by the Asset Management Company, shall also be highlighted to the valuation agencies and valuation committee of the Asset Management Company.
- (e) on their discretion share views on market colour, general state of market or trends without disclosing confidential information;
- (f) not disclose any material non-public information that could affect the value of an investment to external parties and shall not act or cause others to act on such information; and
- (g) not intentionally disseminate false or misleading information with respect to the price or market for a security.

Execution Standards:

3.1. Fund Managers shall:

- (a) have an appropriate and adequate basis for investment decision and shall be responsible for investment in the funds managed by them;
- (b) record in writing, the decision of buying or selling securities together with the detailed justifications for such decisions; and
- (c) not indulge any act or practice which results in artificial window dressing of the NAV.

3.2. Dealers and Fund Managers shall:

- (a) adopt fair and prompt deal execution practices;
- (b) fully document all correspondence and understanding during a deal with counterparties in the books of the fund if they have committed to the transactions on behalf of the mutual fund;
- (c) not favour one scheme over another for the purpose of security allocation, transfer of benefits (profit/loss) or any valuation gain/ loss including by way of inter scheme transfers or otherwise;
- (d) not indulge in circular trading (by whatever name called) in any manner;
- (e) not enter or participate in transactions with the intent of disrupting the market, distorting the prices, or artificially inflating trading volumes;

- (f) not indulge in simultaneously buying and selling the same securities at off market prices in order to create false or misleading signals regarding the supply of, demand for, or market price of securities;
- (g) not manipulate the prices of infrequently traded securities including at monthly/quarterly /annual closing dates;
- (h) not enter into arrangements for sale or purchase of a security including a Government security where there is no change in beneficial interests or market risk or where the transfer of beneficial interest or market risk is only between parties who are acting in concert or collusion;
- (i) not carry out or participate in a ‘routing deal’ i.e. purchasing a security at the instance of a third party who does not have funds to purchase the security, with an understanding to sell the same to the said third party at a later date at a predetermined price which may or may not be market related;
- (j) not put misleading bids and offers outside the market range as defined by their institution without an intention to trade;
- (k) not make frivolous quotations with an intent to mislead the market participants; and
- (l) not sell securities to a third party at the month/quarter end with an understanding to purchase the same at a later date for any purpose including to meet periodic liquidity or to avoid month end disclosure.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./321/2020-21]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on December 9, 1996 vide S.O. No. 856 (E).

2. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 were subsequently amended—

- (1) on April 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.327 (E).
- (2) on January 12, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.32 (E).
- (3) on December 08, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.1223 (E).
- (4) on March 14, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.235 (E).
- (5) on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278 (E).
- (6) on May 22, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.484 (E).
- (7) on January 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.69 (E).
- (8) on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.476 (E).
- (9) on July 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.698 (E).
- (10) on February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.219 (E).

- (11) on June 11, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.625 (E).
- (12) on July 30, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.809 (E).
- (13) on September 9, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Fourth Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.956 (E).
- (14) on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045 (E).
- (15) on May 29, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 632 (E).
- (16) on January 12, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2004 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/4/2004.
- (17) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398 (E).
- (18) on January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 38 (E).
- (19) on May 22, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 783 (E).
- (20) on August 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1254 (E).
- (21) on December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/82534/2006.
- (22) on December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/83065/2006.
- (23) on May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/2518.
- (24) on October 31, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/4646.
- (25) on March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669.
- (26) on April 16, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. LADNRO/ GN/2008/03/123042.
- (27) on May 22, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2008 vide No. LADNRO/GN/2008/09/126202.
- (28) on September 29, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2008 vide No. LADNRO/ GN/2008/24/139426.
- (29) on April 8, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/01/159601.
- (30) on June 5, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD- NRO/GN/2009-10/07/165404.
- (31) on July 29, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/13/13945.
- (32) on August 30, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/27668.
- (33) on February 21, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/38/4290.

- (34) on 26th September, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/17/21502.
- (35) on 16th April, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/03/5652.
- (36) on 19th June, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/12/6108.
- (37) on 19th August, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/18/6384.
- (38) on 6th May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/01/1039.
- (39) on 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- (40) on 30th December, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/19/1973.
- (41) on 15th May, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2015 No. NROOIAE/GN/2015-16/005.
- (42) on 12th February, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/034.
- (43) on 15th February, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/031.
- (44) on 13th March, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/02.
- (45) on 30th May, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/14.
- (46) on 6th December, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/50.
- (47) on 13th December, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/51.
- (48) on 1st January, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/01.
- (49) on 26th April, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/011.
- (50) On 23rd September, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/37.
- (51) On 06 March, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/07.
- (52) On 17 April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.